परिपत्र संख्या– 16 /2017

सुलखान सिंह,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001

दिनांकःलखनऊःजुलाई 09 , 2017

प्रिय महोदय,

प्रायः देखा जा रहा है कि जिलों के पुलिस अधिकारी मीडिया को बयान देते समय किसी आपराधिक घटना का अनावरण करने पर अपने सार्वजनिक वक्तव्य में पुलिस की विवेचना, युक्ति, पुलिस प्रकिया, अपराधिक अन्वेषण की तकनीकें या वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित जानकारी साझा करते हैं, जिससे गोपनीयता भंग होती है एवं अपराधियों को पुलिस की योजना एवं कार्यप्रणाली की जानकारी हो जाती है। यह नितान्त आपत्तिजनक है

अतः मीडिया को जानकारी देने एवं प्रेस ब्रीफिंग के संबंध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

- किसी भी प्रकरण में मीडिया को बयान देने के लिये जनपद स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा नामित अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक द्वारा ही वक्तव्य दिया जायेगा एवं अन्य किसी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कोई वक्तव्य नहीं दिये जायेंगे।
- किसी भी अभियुक्त से मीडिया या जनता के व्यक्ति से बात नहीं करायी जायेगी ।
- पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी ब्रीफिंग आवश्यक तथ्यों तक ही सीमित रखना चाहिए और प्रचलित विवेचनाओं के संबंध में अधूरी, अनुमानित या अपुष्ट सूचनाओं के साथ प्रेस में नहीं जाना चाहिए। पुलिस की ब्रीफिंग निम्न स्थितियों पर की जा सकती है –
  अ–अपराध के पंजीकरण ।
  ब–अभियुक्तों की गिरफ्तारी ।
  स–केस में आरोप पत्र प्रेषित करने पर ।
  द–अपराध का अन्तिम परिणाम जैसे सजा या दोषमुक्ति।
- प्रतिदिन नियमित रूप से घटना की प्रगति व विवेचना की भिन्न दिशाओं के संबंध में टुकड़ों में सूचना/सुराग देने की सामान्य प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि विवेचना से कोई समझौता न हो और अभियुक्त/संदेही पुलिस द्वारा विवेचना की सम्भावित दिशा के संबंध में दी गयी सूचना का अनुचित लाभ न उठा सके ।
- अवयस्क व्यक्तियों और बलात्कार पीड़ित महिला की पहचान को गोपनीय बनाये रखने के संबंध में जो वैधानिक प्रावधान हैं, उनका सावधानी पूर्वक पालन किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अवयस्क व्यक्ति बलात्कार पीड़ित महिला की पहचान को मीडिया के सामने सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए ।
- अभियुक्तों एवं पीड़ित व्यक्तियों के वैधानिक, निजता एवं मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सावधानी रखी जानी चाहिए।

अ--गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को मीडिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए ।
ब--ऐसे अभियुक्त जिनकी कार्यवाही शिनाख्त कराई जानी है, के चेहरे को खुला नहीं किया जाना चाहिए।

- मीडिया को ब्रीफ करते समय पुलिस द्वारा कोई भी सुझावात्मक एवं निर्णायात्मक वक्तव्य नहीं देना चाहिए।
- आपराधिक घटनाओं की ब्रीफिंग में पुलिसिंग के व्यावसायिक तौर--तरीकों, युक्ति, सर्विलान्स/तकनीकी साधनों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इससे आपराधिक तत्व सतर्क हो जाते हैं और अपनी आगामी योजनाओं में इस सम्बन्ध में पर्याप्त सावधानी बरत सकते हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रकरणों में मीडिया को कोई भी सूचना तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक पूरा आपरेशन समाप्त न हो जाये या सभी अभियुक्त पकड़ न लिये गये हों।
- जब भी किसी घटना संबंध में भ्रामक रिपोर्टिंग या असत्य रिपोर्टिंग की जानकारी आती है तो तत्काल सोशल मीडिया (ट्विटर/फेसबुक) पर समुचित खण्डन जारी किया जाना चाहिए। सम्बन्धित समाचार पत्र/चैनल से तत्काल सम्पर्क कर, उक्त रिपोर्ट के सही तथ्य इंगित किये जाने चाहिए।
- शरारतपूर्ण मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज करानी चाहिये। शिकायत का अनुश्रवण भी किया जाना चाहिये।
- आपराधिक अन्वेषण से जुड़े तथ्यों पर फोरेंसिक एक्सपर्ट एवं चिकित्सकों द्वारा सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दिया जाना चाहिये । कृपया इस विषय में सभी को ब्रीफ कर दिया जाये।

कृपया इस विषय पर पूर्ण गम्भीरता से कार्यवाही की जाये।

(सुलखान सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक (नाम से)
प्रभारी जनपद/रेलवेज,
उ0प्र0।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

1--समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
2--समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 ।
3--समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 ।